

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 07

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं

*7. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में पूरे हिमालयी क्षेत्र में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देते और आरंभ करते समय पर्यावरण से संबंधित किसी पक्ष को ध्यान में रखा गया/ध्यान में रखा जाना प्रस्तावित था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन और अन्य पारिस्थितिकीय घटनाओं से प्रभावित परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (घ) जोशीमठ क्षेत्र की हाल की स्थिति/घटनाओं ने विद्युत परियोजनाओं को किस हद तक प्रभावित किया है; और
- (ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं जिससे ऐसी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत और आरंभ किए जाने से पूर्व पर्यावरण, पारिस्थितिकीय और भौगोलिक पक्षों को ध्यान में रखा जाए?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 07 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वर्तमान में, देश में विभिन्न राज्यों के हिमालयी क्षेत्र में कुल 11,137.50 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 30 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीज) (25 मेगावाट संस्थापित क्षमता से अधिक) विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में से, कुल 10,381.50 मेगावाट की 23 जल विद्युत परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं और कुल 756 मेगावाट की 7 जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं। इसके साथ-साथ, देश में विभिन्न राज्यों के हिमालयी क्षेत्र में कुल 22,982 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 87 जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनरत हैं (**अनुबंध-II**)।

(ख) : 25 मेगावाट से अधिक की कोई भी जल विद्युत परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व आरंभ नहीं की जाती जोकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा, किसी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा व्यापक मूल्यांकन के बाद ही प्रदान की जाती है।

परियोजना प्रस्ताव का केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), वैधानिक सहमति देने से पूर्व, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) सहित अन्य मूल्यांकन एजेंसियों के साथ परियोजना प्रस्ताव की जांच करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जल विद्युत परियोजना का निर्माण आरंभ होने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं।

(ग) : 30 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से, विगत 10 वर्षों में उत्तराखंड में स्थित 2 परियोजनाएं नामतः फाटा बियूंग (76 मेगावाट) तथा तपोवन विष्णुगाड (520 मेगावाट) बाढ़/हिम स्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण प्रभावित हुई थीं।

(घ) : जोशीमठ नगर के अति निकटवर्ती क्षेत्र में कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है। निकटतम विद्युत परियोजना अर्थात् तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना भी उस स्थान से काफी दूर है जहां पिछले दिनों जमीन धसने की घटना हुई थी। जोशीमठ क्षेत्र में जमीन धसने की घटना से तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना अप्रभावित है। तथापि, जिला प्रशासन ने परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियों को अगले आदेशों तक स्थगित करने के लिए दिनांक 05.01.2023 को एक आदेश जारी किया है।

(ड) : जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, 25 मेगावाट से अधिक की कोई भी परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना आरंभ नहीं की जा सकती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना हेतु इच्छुक कोई उत्पादक कंपनी, एक स्कीम तैयार करेगी और इसे सहमति हेतु सीईए को प्रस्तुत करेगी, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा निर्धारित ऐसी राशि (वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपये) से अधिक का पूंजीगत व्यय अनुमानित होगा।

बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करने से पहले, सी.ई.ए. के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) जैसी अन्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा घाटी आयोजना, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच की जाती है।

जीएसआई परियोजना घटकों के भूविज्ञान का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि निर्माण से पहले विस्तृत भूवैज्ञानिक मैपिंग एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए गए हैं, ड्रिलिंग/ड्रिफ्टिंग की गई है और संरचनात्मक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। सीडब्ल्यूसी परियोजना की बुनियाद की इंजीनियरिंग तथा भूकंपनीयता संबंधी पहलुओं की जांच करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थापना तथा क्षेत्र की टेक्टॉनिक विशेषताओं सहित किसी नदी घाटी परियोजना के लिए स्थल विशिष्ट भूकंप अध्ययन किया गया है और भूकंपीय डिजाइन मापदंडों का पालन किया गया है। सीएसएमआरएस द्वारा निर्माण सामग्री तथा भू-तकनीकी संबंधी पहलुओं की विस्तृत जांच की जाती है। जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण संबंधित निकायों द्वारा आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही आरंभ किया जाता है।

"हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 07 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

हिमालयी राज्यों (दिनांक 26.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार) में कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	जिला	संस्थापित क्षमता (संख्याXमेगा वाट)	क्षमता के अंतर्गत निष्पादन (मेगावाट)	नदी/घाटी	पर्यावरण स्वीकृति की तिथि	वास्तविक प्रगति (% में)	समापन/ कमीशन की तिथि
	अरुणाचल प्रदेश								
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	लोअर सुबनसिरी	8x250	2000.00	सुबनसिरी/ब्रह्मपुत्र	16.7.2003	84%	2023-25 (जून'24)#
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2000.00				
	असम								
2	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग	2x55+2x2.5 +1x5	120.00	कोपीली/ब्रह्मपुत्र	4.9.2019	36%	2024-25 (मार्च'25)
	उप-जोड़: असम				120.00				
	हिमाचल प्रदेश								
3	पार्वती चरण-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पार्वती/ब्यास/सिंधु	04.06.2001	95%	2023-24 (मार्च'24)
4	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210.00	सतलुज/सिंधु	17.03.2020	33%	2025-26 (जनवरी'26)
5	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केंद्रीय	हमीरपुर/कांगड़ा	2x33	66.00	ब्यास/सिंधु	21.02.2013	26%	2025-26 (नवंबर'25)
6	सुन्नी डैम (एसजेवीएन)	केंद्रीय	शिमला/मंडी	4x73+1x73 +1x17	382.00	सतलुज	04.02.2022	हाल ही में कार्य अवाई किया गया।	2027-28 (मार्च'28)
7	उहल- III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/सिंधु	15.11.2002	93%	2024-25 (दिसंबर'24)
8	शौगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलुज/सिंधु	19.05.2011	44%	2026-27 (नवंबर'26)
9	चंजु-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	चंबा	3x16	48.00	चंजु नल्लाह	29.09.2017	हाल ही में कार्य अवाई किया गया।	2027-28 (जून'27)
10	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	3x50	150.00	टिडोंग/सतलुज/सिंधु	18.06.2008/06.08.2021	90%	2023-24 (दिसंबर'23)
11	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	चंबा	3x80	240.00	रावी/सिंधु	05.07.2011	62%	2025-26 (नवंबर'25)
12	तांगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	शिमला	2x22	44.00	पब्बर/टोन्स/यमुना/गंगा	01.05.2009	40%	*
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				2490.00				
	जम्मू एवं कश्मीर								
13	पाकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड	4x250	1000.00	मरूसादर/चिनाब/सिंधु	29.2.2008	32%	2025-26 (जुलाई'25)
14	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड	4x156	624.00	चिनाब/सिंधु	24.06.2016	15%	2025-26 (जुलाई'25)
15	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	किश्तवाड	4x205 + 1x30	850.00	चिनाब/सिंधु	12.12.2012	6%	2025-26 (फरवरी'26)
16	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड	4x135	540	चिनाब/सिंधु	10.04.2017	4%	2026-27 (नवंबर'26)

17	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूँछ	3x12.5	37.50	झोलम/सिंधु	24.12.2010	51%	2024-25 (जून'24)
18	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	किश्तवाड़	2x24	48.00	चिनाब/सिंधु	22.08.2014	9%	*
उप-जोड़: जम्मू एवं कश्मीर					3099.50				
सिक्किम									
19	तीस्ता चरण-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिण सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्म पुत्र	21.09.2006	48%	2025-26 (जुलाई'25)
20	रंगित- IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	पश्चिम सिक्किम	3x40	120.00	रंगित/तीस्ता / ब्रह्मपुत्र	16.05.2007	55%	2024-25 (अगस्त'24)
21	भरमे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x25.5	51.00	रंगपो/तीस्ता / ब्रह्मपुत्र	15.05.2007	30%	*
22	रंगित- II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	पश्चिम सिक्किम	2x33	66.00	ग्रेटर रंगित/तीस्ता / ब्रह्मपुत्र	16.04.2010	20%	*
23	पनन (हिमागिरी)	निजी	उत्तरी सिक्किम	4x75	300.00	रंगयोंगचू/ती स्ता/ ब्रह्मपुत्र	02.01.2007	5%	*
उप-जोड़: सिक्किम					1037.00				
उत्तराखंड									
24	विष्णुगाड़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गं गा	22.08.2007	62%	2024-25 (मार्च'25)
25	नैतवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोन्स/यमुना / गंगा	16.06.2016	87%	2022-23 (मार्च'23)
26	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x130	520.00	धौलीगंगा/अल कनंदा और/गंगा	08.02.2005	75%	2024-25 (दिसंबर'24)
27	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भिलगना/भा गीरथी/गंगा	19.7.1990	93%	2023-24 (अक्तूबर'23)
28	लता पोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	3x57	171.00	धौलीगंगा/अल कनंदा और गंगा	21.02.2007	4%	*
29	फाटाब्युंग (लैंको)	निजी	रूद्रप्रयाग	2x38	76.00	मंदाकिनी/अल कनंदा गंगा	18.02.2008	74%	*
उप-जोड़: उत्तराखंड					2271.00				
पश्चिम बंगाल									
30	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्मम/रंगि ता/तीस्ता ब्रह्मपुत्र	17.08.2007	44%	2025-26 (जुलाई'25)
उप-जोड़: पश्चिम बंगाल					120.00				
संपूर्ण:					11137.50				
#वर्ष 2023-24 के दौरान 4 यूनिट (1000 मेगावाट) और वर्ष 2024-25 के दौरान 4 यूनिट (1000 मेगावाट) के आरंभ होने की संभावना है।									
* परियोजना वर्तमान में रुकी हुई है, इन्हें आरंभ करना कार्यों के तत्काल पुनरांभ के अधीन है।									

"हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 07 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) की राज्य-वार/स्टेशन-वार संस्थापित क्षमता

क्रम सं.	स्टेशन	यूटिलिटी	क्षमता (मेगावाट)	डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	कमीशनिंग वर्ष	जिला
हिमाचल प्रदेश						
1	भाखड़ा एल	बीबीएमबी	612.00	3924.00	1961	बिलासपुर
2	भाखड़ा आर	बीबीएमबी	785.00		1968	बिलासपुर
3	देहरा	बीबीएमबी	990.00	3110.00	1983	मंडी
4	पोंग	बीबीएमबी	396.00	1123.00	1983	कांगड़ा
5	बैरासुइल	एनएचपीसी	180.00	779.28	1981	चंबा
6	चमेरा-I	एनएचपीसी	540.00	1664.56	1994	डलहौजी
7	चमेरा-II	एनएचपीसी	300.00	1499.89	2004	चंबा
8	चमेरा-III	एनएचपीसी	231.00	1108.00	2012	चंबा
9	पार्वती-III	एनएचपीसी	520.00	1977.23	2014	कुल्लु
10	नाथपा झाकरी	एसजेवीएनएल	1500.00	6612.00	2004	किन्नौर
11	रामपुर	एसजेवीएनएल	412.00	1878.08	2014	शिमला
12	कोलडैम	एनटीपीसी	800.00	3054.79	2015	मंडी
13	बस्सी	एचपीएसईबीएल	66.00	346.77	1981	मंडी
14	गिरि बाटा	एचपीएसईबीएल	60.00	240.00	1978	सिरमौर
15	लारजी	एचपीएसईबीएल	126.00	586.85	2006	कुल्लु
16	संजय	एचपीएसईबीएल	120.00	518.00	1989	किन्नौर
17	इंटीग्रेटिड कशांग	एचपीपीसीएल	195.00	245.80	2017	किन्नौर
18	सैंज	एचपीपीसीएल	100.00	323.23	2017	कुल्लु
19	सावरा कुड्डु	एचपीपीसीएल	111.00	386.00	2020	शिमला
20	शानन	पीएसपीसीएल	110.00	585.00	1982	मंडी
21	मलाना	एमपीसीएल	86.00	370.93	2001	कुल्लु
22	बुधिल	जीबीएचपीपीएल	70.00	291.73	2012	चंबा
23	मलाना-II	ईपीपीएल	100.00	403.00	2011	मलाना
24	चंजु-I	बीबीएमबी	36.00	157.82	2017	चंबा
25	एलियन दुहांगन	बीबीएमबी	192.00	678.18	2010	मनाली
26	बास्पा	बीबीएमबी	300.00	1213.00	2003	किन्नौर
27	करचम बांगटू	बीबीएमबी	1045.00	4131.06	2011	किन्नौर
28	सोरंग	एनएचपीसी	100.00	524.00	2021	किन्नौर
29	बजोली होली	एनएचपीसी	180.00	769.39	2022	चंबा
कुल हिमाचल प्रदेश			10263.00	38501.59		
जम्मू एवं कश्मीर						
30	बगलीहार-I	जेकेएसपीडीसी	450.00	2643.00	2008	डोडा
31	बगलीहार-II	जेकेएसपीडीसी	450.00	1302.30	2015	डोडा
32	लोअर झेलम	जेकेएसपीडीसी	105.00	533.00	1979	बारामूला
33	अपर सिंध-II	जेकेएसपीडीसी	105.00	355.00	2002	गांदरबल
34	दुलहस्ती	एनएचपीसी	390.00	1907.00	2007	डोडा
35	सलाल-I व II	एनएचपीसी	690.00	3082.00	1995	रियासी
36	उरी-I	एनएचपीसी	480.00	2587.38	1997	बारामूला
37	उरी-II	एनएचपीसी	240.00	1124.00	2014	बारामूला
38	सेवा-II	एनएचपीसी	120.00	533.52	2010	कठुआ
39	किशनगंगा	एनएचपीसी	330.00	1705.62	2018	बांदीपुरा
कुल जम्मू एवं कश्मीर			3360.00	15772.82		

लद्दाख						
	एनएचपीसी					
40	चूटक	एनएचपीसी	44.00	213.00	2013	कारगिल
41	निम्मो बाजगो	एनएचपीसी	45.00	239.00	2013	लेह
कुल लद्दाख			89.00	452.00		
उत्तराखंड						
42	धौलीगंगा	एनएचपीसी	280.00	1134.69	2005	पिथौरागढ़
43	टनकपुर	एनएचपीसी	94.20	452.19	1992	चम्पावत
44	टिहरी चरण-I	टीएचडीसी	1000.00	2797.00	2007	टिहरी गढ़वाल
45	कोटेश्वर	टीएचडीसी	400.00	1155.00	2012	टिहरी गढ़वाल
46	चिब्रो (यमुना)	यूजेवीएनएल	240.00	750.00	1976	देहरादून
47	चिल्ला	यूजेवीएनएल	144.00	725.00	1981	हरिद्वार
48	धकरनी	यूजेवीएनएल	33.75	169.00	1970	देहरादून
49	धालीपुर	यूजेवीएनएल	51.00	192.00	1970	देहरादून
50	खटीमा	यूजेवीएनएल	41.40	208.00	1956	यू. एस. नगर
51	खोदरी	यूजेवीएनएल	120.00	345.00	1984	डाक पाथर
52	कुलहल	यूजेवीएनएल	30.00	164.00	1975	देहरादून
53	मनेरी भाली-I	यूजेवीएनएल	90.00	395.00	1984	उत्तरकाशी
54	मनेरी भाली-II	यूजेवीएनएल	304.00	1566.10	2008	उत्तरकाशी
55	राम गंगा	यूजेवीएनएल	198.00	334.00	1977	पौड़ी गढ़वाल
56	व्यासी	यूजेवीएनएल	120.00	375.24	2022	देहरादून
57	श्रीनगर	एचपीसी	330.00	1396.84	2015	पौड़ी गढ़वाल
58	विष्णु प्रयाग	जेपीपीवीएल	400.00	1774.42	2006	चमोली
59	सिंगोली भटवारी	री न्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड	99.00	473.00	2020	रूद्रप्रयाग
कुल उत्तराखंड			3975.35	14406.48		
पश्चिम बंगाल						
60	मैथॉन	डीवीसी	63.20	137.00	1958	धनबाद
61	तीस्ता लो डैम-III	एनएचपीसी	132.00	594.00	2013	दार्जिलिंग
62	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	160.00	719.67	2016	दार्जिलिंग
63	जलढाका	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	36.00	165.00	1972	जलपाईगुड़ी
64	रम्माम	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	50.00	210.00	1996	दार्जिलिंग
65	पुरुलिया	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	900.00	1235.00	1996	पुरुलिया
कुल पश्चिम बंगाल			986.00	1610.00		
सिक्किम						
66	रंगित	एनएचपीसी	60.00	338.61	2000	गंगटोक
67	तीस्ता-V	एनएचपीसी	510.00	2572.70	2008	पूर्वी सिक्किम
68	तीस्ता-III	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	1200.00	5214.00	2017	उत्तर सिक्किम
69	छूजाचैन	जीआईपीएल (गति इंफ्रा प्रा. लि.)	110.00	537.81	2013	पूर्वी सिक्किम
70	दिकछू	एसकेपीपीपीएल	96.00	431.00	2017	पूर्वी सिक्किम
71	ताशिडिंग	एसईपीएल	97.00	425.05	2017	पश्चिम सिक्किम
72	जोरथांग लूप		96.00	459.02	2015	जोरथांग
73	रोंगनिचु	एमबीपीसी	113.00	434.00	2021	पूर्वी सिक्किम
कुल सिक्किम			2282.00	10412.19		
अरुणाचल प्रदेश						
74	रंगानदी	नीपको	405.00	1509.66	2002	लोअर सुबनसिरी
75	पारे	नीपको	110.00	506.42	2018	पापम पारे
76	कामेंग	नीपको	600.00	3353.00	2021	पश्चिम कामेंग
कुल अरुणाचल प्रदेश			1115.00	5369.08		
असम						
77	कोपिली	नीपको	200.00	1186.14	1997	दीमा हसाओ

78	खोंडोंग	नीपको	50.00	363.95	1984	दीमा हसाओ
79	कारबी लांगपी	एपीजीसीएल	100.00	390.00	2007	कार्बी आंगलॉंग
कुल असम			350.00	1940.09		
मिजोरम						
80	तुरियल	नीपको	60.00	250.63	2017	कोलासिब
कुल मिजोरम			60.00	250.63		
नागालैंड						
81	दोयांग	नीपको	75.00	227.24	2000	वोखा
कुल नागालैंड			75.00	227.24		
मणिपुर						
82	लोकटक	एनएचपीसी	105.00	448.00	1983	इंफाल
कुल मणिपुर			105.00	448.00		
मेघालय						
83	किरदमकुलई	एमईपीजीसीएल	60.00	118.00	1979	आरआई-भोई
84	उमियम स्टे.-I	एमईपीजीसीएल	36.00	128.00	1965	आरआई-भोई
85	न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	40.00	235.00	2017	आरआई-भोई
86	उमियम स्टे.-IV	एमईपीजीसीएल	60.00	324.00	1992	आरआई-भोई
87	मिंटडू स्टे.-I	एमईपीजीसीएल	126.00	372.69	2013	जयंतिया हिल्स
कुल मेघालय			322.00	1177.69		
कुल हिमालयी राज्य			22982.35	90567.81		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 12

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विद्युत की मांग में वृद्धि

*12. श्री संजय काका पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2022 में 203 दिनों की रिकॉर्ड लू चलने के अनुभव के संबंध में भविष्य में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का गर्मियों के दौरान बार-बार बिजली जाने की समस्या से निपटने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत की मांग में वृद्धि" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय विद्युत प्रणाली ने जून 2022 में 211.6 गीगावाट की रिकार्ड विद्युत मांग को पहले ही पूरा कर लिया है। वर्तमान वर्ष 2023 के दौरान, ग्रीष्म ऋतु में विद्युत की मांग लगभग 225 गीगावाट होने की संभावना है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। उत्पादक उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों का अनुरक्षण पूरा कर लेंगे। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल से मई, 2023) के दौरान कोई योजित अनुरक्षण नहीं किया जाएगा।
- (ii) कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा यथासंभव अधिक से अधिक प्रेषण के लिए कोयला और रेल मंत्रालयों के साथ नियमित आधार पर निगरानी और समन्वय।
- (iii) सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण के उद्देश्य से कोयले का समय पर आयात करने को कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक बना रहे।
- (iv) सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को स्वदेशी कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयला आपूर्ति के अनुपूरण के लिए अधिकतम कोयला उत्पादन करने को कहा गया है।
- (v) विद्युत की उच्च मांग वाले महीनों के दौरान, गैस आधारित स्टेशनों के संचालन के लिए गैस से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।
- (vi) विद्युत संशोधन नियम, 2022 को दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार की जानी अधिदेशित है ताकि उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 15

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

सार्वजनिक ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों का ऑनलाइन राष्ट्रीय डाटाबेस

15. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का एक ऑनलाइन राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में देश में चल रहे ऐसे चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या ईवी चार्जिंग स्टेशनों को राजमार्गों के किनारे प्रचालनरत बनाने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है; और
- (ङ) यदि हां, तो राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों के वर्तमान घनत्व के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) के परामर्श से पूरे देश में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के डाटाबेस के लिए एक वेब-पोर्टल/सॉफ्टवेयर/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डाटाबेस बनाने और उसके रख-रखाव का कार्य सौंपा है। दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब-पोर्टल, "ईवी यात्रा" को शुरू किया गया है।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 23.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान में देश में कुल 5254 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) प्रचालनरत हैं। प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-क** में दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को जारी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हेतु चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसार, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के प्रचालनीकरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान में 43 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रचालनरत हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों-वार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-ख** में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	48
5	बिहार	83
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	46
8	दिल्ली	539
9	गोवा	44
10	गुजरात	170
11	हरियाणा	230
12	हिमाचल प्रदेश	27
13	जम्मू और कश्मीर	24
14	झारखंड	60
15	कर्नाटक	704
16	केरल	192
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्य प्रदेश	174
19	महाराष्ट्र	660
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	19
22	नगालैंड	6
23	ओडिशा	117
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	126
26	राजस्थान	254
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	442
29	तेलंगाना	365
30	त्रिपुरा	18
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	1
32	उत्तर प्रदेश	406
33	उत्तराखंड	48
34	पश्चिम बंगाल	189
कुल		5254

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय राजमार्ग वार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	प्रचालनरत पीसीएस (सं.)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग -22	2
2	राष्ट्रीय राजमार्ग -8	3
3	राष्ट्रीय राजमार्ग -1	2
4	राष्ट्रीय राजमार्ग -11	8
5	राष्ट्रीय राजमार्ग -8	9
6	राष्ट्रीय राजमार्ग -48	1
7	राष्ट्रीय राजमार्ग -16	7
8	राष्ट्रीय राजमार्ग -4	1
9	राष्ट्रीय राजमार्ग -8ई	1
10	राष्ट्रीय राजमार्ग -5	2
11	राष्ट्रीय राजमार्ग -44	1
12	राष्ट्रीय राजमार्ग -216	1
13	राष्ट्रीय राजमार्ग -65	1
14	राष्ट्रीय राजमार्ग -221	1
15	राष्ट्रीय राजमार्ग -563	1
16	राष्ट्रीय राजमार्ग -163	1
17	राष्ट्रीय राजमार्ग -148	1
	कुल	43

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 23

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उत्पादन और उपयोग

23. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के कुल वितरण का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन और उपयोग में सबसे कम हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के संदर्भ में अन्य देशों को किए गए कुल निर्यात के मूल्य का ब्यौरा क्या है;
- (घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की हिस्सेदारी और निर्यात से प्राप्त आय का देश-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों के साथ उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को सुसंगत बनाने के संबंध में कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का उन मानकों को सुसंगत बनाने का विचार है, जिनसे बेहतर व्यापार सुगम होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं।

(ख) : देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन में पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम है। विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार विद्युत उत्पादन और उत्पादन में इसके हिस्से के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विद्युत के निवल निर्यात/आयात के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं। क्रेता एवं विक्रेता कंपनियों द्वारा विद्युत का आयात/निर्यात विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक शर्तों पर किया जाता है और विद्युत मंत्रालय अन्य देशों को कुल निर्यात के मूल्य के साथ-साथ नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय के अनुसार विद्युत के वर्गीकरण के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

(ङ) और (च) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने रूम एयर कंडीशनरों के मानकों को यूरोपीय संघ (ईयू) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) जैसे देशों के समान बनाने की संभावना की तलाश की है। यह देखा गया है कि इन देशों के लिए ऊर्जा दक्षता का परिकलन करने के लिए तापमान की रेंज से संबंधित परीक्षण स्थितियां संबंधित देशों के मौसम तथा जलवायु स्थितियों के आधार पर भिन्न पाई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि प्रत्येक देश के लिए वार्षिक प्रचालन अवधि भिन्न होती है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत में रूम एयर कंडीशनरों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को ईयू तथा यूएसए के समान बनाने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

तथापि, बीईई ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता स्तर में वृद्धि की है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

श्रेणी	ईंधन	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार क्षमता निगरानी (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	
			2021-22	2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक)
तापीय	कोयला	203985.5	1041487.4	846570.89
	लिग्नाईट	6620	37094.04	26998.82
	प्राकृतिक गैस	23857.63	36015.7	18384.22
	डीजल	589.2	117.24	134.9
	हाई स्पीड डीजल	255	0	0
	नापथा	701.58		0.83
तापीय कुल		236008.91	1114714.38	892089.66
न्युक्लियर		6780	47112.06	33920.02
जल विद्युत (बड़ी)	जल विद्युत	46850.17	151627.33	137903.61
भूटान से आयात	जल विद्युत		7493.2	6653.2
कुल (तापीय, न्युक्लियर, बड़ी जल विद्युत तथा आयात) "क"		289639.08	1320946.97	1070566.49
नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत के अलावा) "ख"		120848.3	170912.3	153052.71
कुल जोड़ (क+ख)		410487.38	1491859.27	1223619.20

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार विद्युत उत्पादन और उत्पादन में इसके हिस्से के ब्यौरे

क्षेत्र	राज्य	उत्पादन (एमयू)		भाग का %	उत्पादन (एमयू)		भाग का %
		2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक)			2021-22		
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)	चंडीगढ़	9.03	0.00	14.19	0.00		
	दिल्ली	382.91	0.13	458.733451	0.14		
	हरियाणा	1113.53	0.37	1135.41922	0.34		
	हिमाचल प्रदेश	37093.49	12.46	38503.3969	11.67		
	जम्मू एवं कश्मीर	14760.23	4.96	17489.8314	5.30		
	लद्दाख	359.84	0.12	405.98	0.12		
	पंजाब	6339.81	2.13	6951.884131	2.11		
	राजस्थान	31057.32	10.44	24581.15389	7.45		
	उत्तर प्रदेश	5174.55	1.74	7731.61703	2.34		
उत्तराखंड	13877.82	4.66	15204.45	4.61			
एनआर कुल		110168.53	37.02	112476.66	34.08		
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	छत्तीसगढ़	1563.99	0.53	2342.338392	0.71		
	दादरा एवं नगर हवेली	26.39	0.01	49.161911	0.01		
	दमन और दीव	0.00	0.00	47.668342	0.01		
	गोवा	14.15	0.00	16.822	0.01		
	गुजरात	27469.45	9.23	27461.03868	8.32		
	मध्य प्रदेश	12738.21	4.28	13403.4538	4.06		
	महाराष्ट्र	17120.85	5.75	21853.0172	6.62		
डब्ल्यूआर कुल		58933.04	19.80	65173.50	19.75		
दक्षिण क्षेत्र (एसआर)	आंध्र प्रदेश	15846.04	5.32	18776.43615	5.69		
	कर्नाटक	31861.90	10.71	42570.73521	12.90		
	केरल	8078.00	2.71	10932.064	3.31		
	लक्षद्वीप	0.08	0.00	0.303539	0.00		
	पुदुचेरी	9.18	0.00	12.24	0.00		
	तमिलनाडु	27222.61	9.15	29273.35457	8.87		
	तेलंगाना	10898.90	3.66	12972.5212	3.93		
एसआर कुल		93916.72	31.56	114537.65	34.70		
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)	अंडमान निकोबार	29.52	0.01	34.770515	0.01		
	बिहार	172.46	0.06	239.8317165	0.07		
	झारखंड	296.36	0.10	576.665427	0.17		
	ओडिशा	5377.92	1.81	6311.733649	1.91		
	सिक्किम	10868.13	3.65	11506.25496	3.49		
	पश्चिम बंगाल	4368.65	1.47	5034.929042	1.53		
ईआर कुल		21113.04	7.09	23704.19	7.18		
उत्तर पूर्वी (एनईआर)	अरुणाचल प्रदेश	4308.87	1.45	4163.41	1.26		
	असम	639.79	0.21	798.343799	0.24		
	मणिपुर	452.73	0.15	462.202	0.14		
	मेघालय	948.15	0.32	886.4969752	0.27		
	मिजोरम	203.98	0.07	165.5339456	0.05		
	नागालैंड	266.53	0.09	164.0245	0.05		
	त्रिपुरा	4.95	0.00	7.619388478	0.00		
एनईआर कुल		6825.00	2.29	6647.63	2.01		
कुल		290956.34	97.76	322539.63	97.73		
आयात	भूटान (आयात)	6653.20	2.24	7493.2	2.27		
कुल जोड़		297609.54	100.00	330032.83	100.0		

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विद्युत के निवल निर्यात/आयात के ब्यौरे

	भूटान	नेपाल	बांग्लादेश	म्यांमार
वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022)	6571.21 एमयू आयात	785.64 एमयू आयात	6577.4 एमयू निर्यात	7.58 एमयू निर्यात
वर्ष 2021-22	7596.71 एमयू आयात	1921.09 एमयू निर्यात	7301.74 एमयू निर्यात	8.8 एमयू निर्यात
वर्ष 2020-21	9318.17 एमयू आयात	1865.05 एमयू निर्यात	7551.99 एमयू निर्यात	9.24 एमयू निर्यात
वर्ष 2019-20	6310.73 एमयू आयात	2373.06 एमयू निर्यात	6987.94 एमयू निर्यात	8.61 एमयू निर्यात

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 29

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ग्राम उजाला कार्यक्रम

29. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षड्ढगी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ग्राम उजाला कार्यक्रम आज भी कार्यशील है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के उन गांवों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है, जहां पुराने बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला गया है;
- (ग) क्या यह योजना उत्तर प्रदेश के गोंडा-बहराइच, देवरिया, प्रतापगढ़ और राजस्थान के पाली तथा ओडिशा के बालासोर में कार्यशील है; और
- (घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों के उक्त जिलों में बदले गए एलईडी बल्बों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : ग्राम उजाला स्कीम का कार्यान्वयन कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना (5 राज्यों) के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। ग्राम उजाला की अगुआई में वितरण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) से (घ) : राजस्थान तथा ओडिशा राज्यों में ग्राम उजाला कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर कार्यान्वित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 50,343 गांवों को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, देवरिया और प्रतापगढ़ जिलों में एलईडी बल्ब वितरण का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य	जिला	वितरित किए गए एलईडी की संख्या		कुल
			7 वाट	12 वाट	
1.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	15918	57152	73070
2.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	32926	21367	54293
3.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	30800	171948	202748
4.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	36746	92809	129555

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 30

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

जल विद्युत परियोजनाएं

30. श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैया):
श्री भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निर्मित/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी स्थापित क्षमताओं का पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रचालनशील जल विद्युत परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित की गई जल विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्थापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार का पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में जल विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कुल 46850.15 मेगावाट की संस्थापित क्षमतायुक्त कुल 211 जल-विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालनरत हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में कुल 14623.5 मेगावाट क्षमता की 39 एचईपीज़ (25 मेगावाट से अधिक) कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से, कुल 13387.5 मेगावाट की 30 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसके वर्ष 2026-27 तक प्रचालनरत होने की संभावना है और कुल 1236 मेगावाट की 9 जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) : पिछले 3 वर्षों के दौरान, जल विद्युत परियोजनाओं का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन, लक्ष्य का 113.76%, 107.08% और 101.39%, था।

तथापि, नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा या हिमनदों के पिघलने से जल विद्युत परियोजनाओं का समय उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जो उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

(घ) : दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1236 मेगावाट की 9 जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। विकासकर्ता/सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा इन परियोजनाओं के पुनः आरंभ होने की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-III** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए तथा एकीकृत बेसिन-वार विकास को सुगम बनाने के लिए सीपीएसयूज को परियोजनाओं का बेसिन-वार निर्धारण किया गया है।

(ङ) : जल विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चियन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- (i) संविदात्मक विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए “स्वतंत्र अभियंता (आईई)” के माध्यम से “विवाद बचाव तंत्र” और “स्वतंत्र विशेषज्ञों की समझौता समिति (सीसीआईई)” के माध्यम से “विवाद समाधान तंत्र” संबंधी अधिसूचना जारी करना।
- (ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने जल-विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत आधिक्य की घटनाओं को कम करने के लिए दिनांक 08.11.2019 के दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है। इसके लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे आस-पास के क्षेत्रों की परियोजनाओं के पिछले अनुभव के आधार पर वास्तविक परियोजना शेड्यूल तैयार करना, नियमित आधार पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस-परियोजना आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करना, यदि परियोजना के निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुरू होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आदि।
- (iii) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आईटी आधारित निगरानी प्रणाली का विकास।
- (iv) निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के त्वरित समाधान को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ नियमित स्थल दौरे और विचार-विमर्श करना।
- (v) सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता जापान में परियोजना कार्यान्वयन मापदंडों/लक्ष्यों को शामिल करना और सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों के दौरान इसकी निगरानी करना।

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता) और प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित जल विद्युत की मात्रा का विवरण

क्षेत्र/यूटिलिटी/स्टेशन	दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार)
उत्तरी क्षेत्र					
हिमाचल प्रदेश					
केंद्रीय क्षेत्र					
बीबीएमबी					
भाखड़ा एल एंड आर	1397.00	6129.17	5435.99	4357.67	4027.10
देहार	990.00	3390.61	2993.31	3109.73	2732.45
पोंग	396.00	1411.17	1775.60	1103.65	1138.63
कुल बीबीएमबी - हिमाचल प्रदेश	2783.00	10930.95	10204.90	8571.05	7898.18
एनएचपीसी					
बैरासुइल	180.00	331.08	457.60	587.23	494.24
चमेरा-I	540.00	2662.81	2264.85	1899.27	1718.52
चमेरा-II	300.00	1237.01	684.60	1358.68	1205.59
चमेरा-III	231.00	1056.33	995.88	1004.26	923.54
पार्वती-III	520.00	691.62	616.91	613.34	0
पार्वती-II*		0.00	0.00	0.00	619.9
कुल एनएचपीसी - हिमाचल प्रदेश	1771.00	5978.85	5019.84	5462.78	4961.79
एसजेवीएन					
नाथपा झाकड़ी	1500.00	7447.48	7099.00	7067.40	6512.27
रामपुर	412.00	2124.05	1995.35	1981.21	1819.64
नैतवारी मोरी					0
कुल एसजेवीएन	1912.00	9571.53	9094.35	9048.61	8331.9
एनटीपीसी					
कोलडेम	800.00	3449.67	3221.41	3120.14	2891.6
कुल एनटीपीसी	800.00	3449.67	3221.41	3120.14	2891.58
कुल केंद्रीय - हिमाचल प्रदेश	7266.00	29931.00	27540.50	26202.58	24083.46
राज्य क्षेत्र					
एचपीपीसीएल					
कशांग I	65.00	189.52	12.98	209.41	142.02
कशांग II एवं III	130.00				
सैंज	100.00	337.90	424.78	418.83	392.71
सावरा कुड्डु	111.00	0.00	0.00	21.31	295.31
कुल एचपीपीसीएल	406.00	527.42	437.76	649.55	830.04
एचपीएसईबी लिमिटेड					
बस्सी	66.00	331.52	308.98	317.35	274.99
गिरि बाटा	60.00	225.00	164.75	227.63	201.97
लारजी	126.00	670.24	616.31	580.87	547.42
संजय	120.00	585.37	474.31	642.81	582.43
कुल एचपीएसईबी लिमिटेड	372.00	1812.13	1564.35	1768.66	1606.81
ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसी)					
उहल-III*		0.00	0.00	0.00	0
कुल बीवीपीसी		0	0.00	0.00	0
पीएसपीसीएल					
शानन	110.00	565.00	477.07	521.90	450.97
कुल पीएसपीसीएल - हिमाचल प्रदेश	110.00	565.00	477.07	521.90	450.97
कुल राज्य क्षेत्र - हिमाचल प्रदेश	888.00	2904.55	2479.18	2940.11	2887.82
निजी					
अल्लैन दुहानगन पावर लिमिटेड					
अल्लैन दुहानगन	192.00	758.71	640.53	637.44	595.12
एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड					
मलाना-II	100.00	418.09	370.47	345.66	324.06
एचबीपीसीएल					
बास्पा-II	300.00	1353.33	1311.17	1320.35	1266.04
करचम बांगटू	1045.00	4646.53	4361.44	4243.45	3964.92
कुल एचबीपीसीएल	1345.00	5999.86	5672.61	5563.80	5230.96
जीबीएचपीपीएल					
बुधिल	70.00	283.58	275.95	251.37	247.83
आईए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड					
चंजू-I	36.00	169.75	0.00	146.54	124.9

मलाना पावर कंपनी लिमिटेड					
मलाना	86.00	369.34	159.35	314.96	298.62
एनएसएल टिडॉड पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड					
टिडॉग*		0.00	334.88	0.00	0
हिमाचल सोरंग पावर लिमिटेड (एचएसपीएल)					
सोरंग	100	0.00	0.00	57.18	294.36
जीएमआर					
बजोली होली	180		0.00	0.00	400.63
कुल निजी - हिमाचल प्रदेश	2109.00	7999.33	7454	7317	7516.48
कुल हिमाचल प्रदेश	10263.00	40834.88	37473.47	36459.64	34487.76
जम्मू एवं कश्मीर					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
दुलहस्ती	390.00	2064.97	2329.62	2216.13	1946.5
सलाल-I	345.00	4010.15	3632.16	3485.52	2922.19
सलाल-II	345.00				
सेवा-II	120.00	647.92	376.14	62.89	368.28
उरी-I	480.00	3406.44	2986.37	3037.45	2217.46
उरी-II	240.00	1794.35	1626.07	1649.52	1202.27
किशनगंगा	330.00	849.09	1111.49	1506.42	1295.15
कुल एनएचपीसी - जम्मू एवं कश्मीर	2250.00	12772.92	12061.85	11957.93	9951.85
कुल केंद्रीय क्षेत्र - जम्मू एवं कश्मीर	2250.00	12773	12061.85	11957.93	9951.85
राज्य क्षेत्र					
जेकेएसपीडीसी					
बगलीहार-I	450.00	2579.43	2657.85	2676.88	2313.12
बगलीहार-II	450.00	1918.18	1446.95	1561.02	1462.55
लोअर झेलम	105.00	605.75	561.23	622.96	465.51
अपर सिंध-II	105.00	217.84	274.80	255.23	240.17
कुल जेकेएसपीडीसी	1110.00	5321.20	4940.83	5116.09	4481.35
कुल राज्य क्षेत्र - जम्मू एवं कश्मीर	1110.00	5321	4940.83	5116.09	4481.35
कुल जम्मू एवं कश्मीर	3360.00	18094	17002.68	17074.02	14433.20
लद्दाख					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
चूटक	44.00	98.12	158.57	170.54	154.75
निम्नो बाजगो	45.00	172.16	217.64	235.44	205.09
कुल केंद्रीय क्षेत्र - लद्दाख	89.00	270.28	376.21	405.98	359.84
कुल लद्दाख	89.00	270.28	376.21	405.98	359.84
पंजाब					
केंद्रीय क्षेत्र					
बीबीएमबी					
गंगुवाल	77.65	614.82	635.64	609.88	449.94
कोटला	77.65	621.46	637.46	613.89	452.68
कुल बीबीएमबी - पंजाब	155.30	1236.28	1273.10	1223.77	902.62
राज्य क्षेत्र					
पीएसपीसीएल					
आनंदपुर साहिब-I व II	134.00	603.71	573.91	396.28	425.69
मुकेरिया-I - IV	207.00	1184.28	1401.13	926.69	867.55
रंजीत सागर	600.00	2099.21	1498.89	1162.99	1247.62
कुल पीएसपीसीएल	941.00	3887.20	3473.93	2486	2541
कुल राज्य क्षेत्र - पंजाब	941.00	3887	3473.93	2485.96	2540.86
कुल पंजाब	1096.30	5123	4747.03	3709.73	3443.48
राजस्थान					
राज्य क्षेत्र					
आरआरवीयूएनएल					
जवाहर सागर	99.00	315.12	257.18	210.67	211.19
माही बजाज-I व II	140.00	236.53	202.37	187.84	174.47
आर.पी. सागर	172.00	54.53	10.08	83.33	256.87
कुल आरआरवीयूएनएल	411.00	606.18	469.63	481.84	642.53
कुल राज्य क्षेत्र - राजस्थान	411.00	606	469.63	481.84	642.53
कुल राजस्थान	411.00	606	469.63	481.84	642.53
उत्तर प्रदेश					
राज्य क्षेत्र					
यूपीजेवीएनएल					
खारा	72.00	351.03	325.46	357.57	289.45
मातटीला	30.60	73.36	116.81	87.04	93.49
ओबरा	99.00	190.59	338.87	311.58	99.24
रिहंद	300.00	458.50	791.21	646.49	214.62
कुल यूपीजेवीएनएल	501.60	1073.48	1572.35	1402.68	696.80
कुल राज्य क्षेत्र - उत्तर प्रदेश	501.60	1073	1572.35	1402.68	696.80
कुल उत्तर प्रदेश	501.60	1073	1572.35	1402.68	696.80
उत्तराखंड					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					

धौलीगंगा	280.00	1325.55	1153.23	1212.42	1210.1
टनकपुर	94.20	557.81	473.15	540.21	476.4
कुल एनएचपीसी - उत्तराखंड	374.20	1883.36	1626	1753	1687
एनटीपीसी					
तपोवन विष्णुगाढ़		0.00	0.00	0.00	0
कुल एनटीपीसी - उत्तराखंड		0	0	0	0
टीएचडीसी लिमिटेड					
टिहरी	1000.00	3041.74	3040.27	3098.11	2493.79
कोटेश्वर	400.00	1203.19	1221.45	1190.64	964.64
कुल टीएचडीसी लिमिटेड	1400.00	4244.93	4261.72	4288.75	3458.43
कुल केंद्रीय क्षेत्र - उत्तराखंड	1774.20	6128	5888.10	6041.38	5144.93
राज्य क्षेत्र					
यूजेवीएनएल					
चिन्नो (यमुना चरण-II)	240.00	979.66	821.63	903.86	741.82
चिल्ला	144.00	791.38	733.08	799.36	639.01
धकरनी	33.75	173.80	152.66	155.64	117.78
धालीपुर	51.00	224.44	174.05	246.78	173.88
खटीमा	41.40	233.24	218.80	229.75	191.54
खोदरी (यमुना चरण-II)	120.00	436.42	375.46	430.84	355.36
कुलहल (यमुना चरण-IV)	30.00	153.79	133.39	160.08	130.98
मनेरी भाली-I	90.00	356.85	329.23	398.98	346.85
मनेरी भाली-II	304.00	1383.32	1288.89	1412.53	1176.14
राम गंगा	198.00	154.62	260.78	249.36	255.8
व्यासी	120.00				305.64
कुल यूजेवीएनएल	1372.15	4887.52	4487.97	4987.18	4434.8
कुल राज्य क्षेत्र - उत्तराखंड	1372.15	4888	4487.97	4987.18	4434.80
निजी क्षेत्र					
एचपीसी लिमिटेड					
श्रीनगर	330.00	1540.01	1438.00	1421.89	1395.64
जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड					
विष्णु प्रयाग	400.00	1998.71	1778.42	1801.24	1776.26
एल एंड टी					
सिंगोली भटवारी	99.00		0.00	80.44	425.9
कुल निजी क्षेत्र - उत्तराखंड	829.00	3538.72	3216	3303.57	3597.80
कुल उत्तराखंड	3975.35	14555	13592	14332.13	13177.53
कुल उत्तरी क्षेत्र	19696.25	80556.95	75233.86	73866.02	67241.14
पश्चिमी क्षेत्र					
छत्तीसगढ़					
राज्य क्षेत्र					
सीएसपीजीसी					
हसदेव बांगो	120.00	236.79	419.19	404.13	190.27
कुल सीएसपीजीसी	120.00	236.79	419.19	404.13	190.27
कुल राज्य क्षेत्र - छत्तीसगढ़	120.00	237	419.19	404.13	190.27
कुल छत्तीसगढ़	120.00	237	419.19	404.13	190.27
गुजरात					
राज्य क्षेत्र					
जीएसईसीएल					
कदाना पीएसएस	240.00	470.40	337.06	218.26	288.69
उकर्ई	300.00	767.27	651.06	655.24	842.48
कुल जीएसईसीएल	540.00	1237.67	988.12	873.50	1131.17
एसएसएनएनएल					
सरदार सरोबर - सीएचपीएच	250.00	933.94	1086.96	824.27	831.62
सरदार सरोबर - आरबीपीएच	1200.00	3243.07	2158.28	923.74	3203.24
कुल एसएसएनएनएल	1450.00	4177.01	3245.24	1748.01	4034.86
कुल राज्य क्षेत्र - गुजरात	1990.00	5415	4233.36	2621.51	5166.03
कुल गुजरात	1990.00	5415	4233.36	2621.51	5166.03
मध्य प्रदेश					
केंद्रीय					
एनएचडीसी					
इंदिरा सागर	1000.00	2877.35	2793.62	1717.17	2992.75
ओंकारेश्वर	520.00	1288.25	1442.55	928.24	1451.45
कुल एनएचडीसी	1520.00	4165.60	4236.17	2645.41	4444.20
कुल केंद्रीय क्षेत्र - मध्य प्रदेश		4166	4236	2645	4444
राज्य क्षेत्र					
एमपीपीजीसीएल					
बनसागर टोन्स-I	315.00	1245.33	1184.19	1121.45	526.13
बनसागर टोन्स-II	30.00	93.76	111.67	85.43	54.47
बनसागर टोन्स-III	60.00	138.90	135.63	49.86	124.46
बारगी	90.00	377.69	434.13	382.35	331.26
गांधी सागर	115.00	33.81	148.38	211.68	172.81
मधीखेरा	60.00	140.19	118.18	116.50	139.18
राजघाट	45.00	86.46	108.98	74.04	94.95
कुल एमपीपीजीसीएल	715.00	2116	2241.16	2041.31	1443.26
कुल राज्य - मध्य प्रदेश	715.00	2116	2241.16	2041.31	1443.26

एसएमएचपीसीएल (प्राइवेट)					
महेश्वर+		0	0.00	0.00	0
कुल मध्य प्रदेश	2235.00	6282	6477	4687	5887
महाराष्ट्र					
राज्य क्षेत्र					
महाजनको					
भीरा टेल रेस	80.00	95.25	97.33	100.97	76.1
कोयना पीएसएस	250.00	136.71	155.32	93.52	67.33
कोयना डीपीएच	36.00	153.84	165.41	132.46	109.62
कोयना I व II	600.00	1236.53	1226.22	1259.39	908.13
कोयना-III	320.00	708.33	585.21	673.90	695.97
कोयना-IV	1000.00	1640.97	1195.78	1573.37	885.31
तिल्लारी	60.00	112.82	106.54	116.72	100.09
वैतर्णा	60.00	73.49	42.76	128.64	110.7
कुल महाजनको	2406.00	4157.94	3574.57	4079	2953
एमपीपीजीसीएल					
पंच	160.00	217.28	414.90	304.48	288.51
कुल एमपीपीजीसीएल - महाराष्ट्र	160.00	217.28	414.90	304.48	288.51
कुल राज्य क्षेत्र - महाराष्ट्र	2566.00	4375	3989.47	4383.45	3241.76
निजी क्षेत्र					
डोडसन-लिदंब्लोम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डीएलएचपी)					
अंडारधारा स्टे.-II	34.00	17.09	34.29	33.94	16.34
कुल डीएलएचपी	34.00	17.09	34.29	33.94	16.34
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड					
भीरा	150.00	351.50	358.87	397.19	317.44
भीरा पीएसएस	150.00	489.85	585.97	627.39	442.06
भिवपुरी	75.00	336.54	299.70	272.27	235.25
खोपोली	72.00	310.38	280.16	293.14	235.65
कुल टीपीसीएल	447.00	1488.27	1524.70	1589.99	1230.40
कुल निजी क्षेत्र - महाराष्ट्र	481.00	1505	1558.99	1623.93	1246.74
कुल महाराष्ट्र	3047.00	5881	5548.46	6007.38	4488.50
कुल पश्चिमी	7392.00	17814	16678	13720	15732.26
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश					
राज्य क्षेत्र					
एपीजेनको					
एन.जे. सागर टीपीडी	50.00	78.19	54.69	137.59	85.45
एन.जे. सागर आरबीसी	90.00	102.83	155.55	279.08	217.02
श्रीशैलम आरबी	770.00	1339.43	1157.26	1438.92	1778.73
अपर सिलेरू-1 व II	240.00	641.12	620.05	362.01	251.42
लोअर सिलेरू	460.00	851.86	1292.57	896.23	795.68
कुल एपीजेनको	1610.00	3013.43	3280.12	3113.83	3128.30
कुल राज्य क्षेत्र - आंध्र प्रदेश	1610.00	3013	3280.12	3113.83	3128.30
कुल आंध्र प्रदेश	1610.00	3013	3280.12	3113.83	3128.30
कर्नाटक					
राज्य क्षेत्र					
केपीसीएल					
अलमत्ती डैम	290.00	632.46	643.69	499.58	559.46
भाद्रा	26.00	74.73	56.73	72.30	73.96
गेरुसोप्पा	240.00	575.34	480.56	543.26	428.26
घाटप्रभा	32.00	50.64	110.12	94.97	58.87
जोग	139.20	298.23	373.80	554.33	433.85
कद्रा	150.00	475.50	410.34	402.14	313.02
कालिंदी	900.00	3666.11	3147.22	3686.96	2237.08
सूपा डीपीएच	100.00	584.15	443.53	609.78	246.69
कोडासली	120.00	473.62	382.99	425.56	289.33
लिंगनामक्की	55.00	298.58	255.53	277.88	185.06
मुनीराबाद	28.00	79.69	102.10	132.06	90.69
शारावथी	1035.00	5136.46	4582.71	4994.34	3813.24
शिवासमुद्रम	42.00	259.98	321.13	301.01	232.79
वराही	460.00	1183.64	1093.14	1137.31	923.75
कुल केपीसीएल	3617.20	13789.13	12403.59	13731.48	9886.05
एपीजेनको					
टी. बी. डैम और हम्पी	72.00	225.14	183.76	204.98	138.66
कुल एपीजेनको - कर्नाटक	72.00	225.14	183.76	204.98	138.66
कुल राज्य क्षेत्र - कर्नाटक	3689.20	14014.27	12587.35	13936.46	10024.71
कुल कर्नाटक	3689.20	14014.27	12587.35	13936.46	10024.71
केरल					
राज्य क्षेत्र					
केएसईबी लिमिटेड					
इदमलायर	75.00	260.64	289.99	377.02	323.58

इदुक्की	780.00	1830.42	2530.15	3709.85	2573.29
कक्कड	50.00	176.25	184.86	272.56	199.66
कुट्टियाडी और कुट्टियाडी एडि.	225.00	591.42	748.06	746.70	679.67
लोअर पेरियार	180.00	426.99	537.99	811.91	645.36
नेरियामंगलम	52.65	314.66	284.74	312.39	218.52
पल्लीवसल	37.50	141.95	134.27	162.33	116.23
पन्नियर	30.00	136.70	181.26	210.66	162.89
पोरिंगलकुथु	32.00	95.32	153.46	220.41	144.47
साबरीगिरी	300.00	1112.58	1227.64	2047.45	1244.26
संगुलम	48.00	150.71	117.53	183.64	126.55
शोलायर	54.00	216.40	238.44	262.52	154.54
कुल केएसईबी लिमिटेड	1864.15	5454.04	6628.39	9317.44	6589.02
कुल राज्य क्षेत्र - केरल	1864.15	5454.04	6628.39	9317.44	6589.02
कुल केरल	1864.15	5454.04	6628.39	9317.44	6589.02
तमिलनाडु					
राज्य क्षेत्र					
टेनजेडको					
अलियर	60.00	72.91	119.21	22.64	138.55
भवानी कट्टालई बैराज-III	30.00	35.87	60.95	63.50	54.28
भवानी कट्टालई बैराज-II	30.00	56.99	81.23	78.73	89.85
भवानी कट्टालई बैराज-I	30.00	63.38	101.70	76.07	95.83
कोडमपराई पीएसएस	400.00	369.63	353.71	265.63	164.65
कोडायर-I व II	100.00	175.13	293.26	246.35	268.01
कुडहा-I-V	555.00	1559.22	1721.44	1652.80	1250.49
लोअर मेट्टूर-I-IV	120.00	245.18	290.49	291.10	293.94
मेट्टूर डैम	50.00	145.61	133.80	135.34	191.16
मेट्टूर टनल	200.00	372.03	337.16	392.49	739.05
मोयर	36.00	127.60	112.23	104.47	99.14
पापनसम	32.00	106.63	131.83	163.37	98.12
पर्सन्स वैली	30.00	19.15	50.88	41.13	44.66
पेरियार	161.00	502.06	548.03	779.16	508.67
पाईकारा	59.20	17.90	0.04	0.12	27.66
पाईकारा अल्टीमेट	150.00	372.12	337.94	322.37	359.15
सरकारपथी	30.00	117.94	137.29	143.41	73.76
शोलायर-I	70.00	290.39	290.42	400.15	249.85
सूरुलियर	35.00	115.50	111.10	33.24	0
कुल टेनजेडको	2178.20	4765.24	5212.71	5212.07	4746.82
कुल राज्य क्षेत्र - तमिलनाडु	2178.20	4765.24	5212.71	5212.07	4746.82
कुल तमिलनाडु	2178.20	4765.24	5212.71	5212.07	4746.82
तेलंगाना					
राज्य क्षेत्र					
टीएसजेनको					
निचला जुराला	240.00	318.39	403.31	369.90	430.99
एन जे सागर पीएसएस	815.60	1512.73	1248.73	2262.45	2162.42
एन जे सागर एलबीसी	60.00	102.86	101.21	148.30	108.06
पोचमपाद	36.00	48.61	91.02	110.79	107.01
प्रियदर्शिनी जुराला	234.00	321.74	368.29	343.95	452.87
पुलिचितला	120.00	209.67	201.38	315.16	276.46
श्रीशैलम एलबी	900.00	1993.04	1231.44	2076.08	2052.29
कुल टीएसजेनको	2405.60	4507.04	3645.38	5626.63	5590.10
कुल राज्य क्षेत्र - तेलंगाना	2405.60	4507.04	3645.38	5626.63	5590.10
कुल तेलंगाना	2405.60	4507.04	3645.38	5626.63	5590.10
कुल दक्षिणी	11747.15	31754.02	31353.95	37206.43	30078.95
पूर्वी क्षेत्र					
झारखंड					
केंद्रीय क्षेत्र					
डीवीसी					
पंचेत	80.00	114.84	173.09	245.47	122.54
कुल डीवीसी	80.00	114.84	173.09	245.47	122.54
कुल केंद्रीय क्षेत्र - झारखंड	80.00	114.84	173.09	245.47	122.54
राज्य क्षेत्र					
जेयूएनएल					
सुबर्णरेखा-I व II	130.00	36.12	50.00	302.49	158.53
कुल झारखंड	130.00	36.12	50.00	302	159
कुल राज्य क्षेत्र - झारखंड	130.00	36.12	50.00	302	159
कुल झारखंड	210.00	150.96	223.09	548	281
ओडिशा					
राज्य क्षेत्र					
ओएचपीसी					
बालीमेला	510.00	1521.41	1656.07	1062.04	1171.42
हीराकुंड-I व II	359.80	790.02	952.93	975.84	844.04
रंगाली	250.00	665.17	1014.76	866.39	660.18
अपर इंद्रावती	600.00	2253.48	1757.33	1156.65	1051.08
अपर कोलाब	320.00	829.12	812.82	451.20	317.25

कुल ओएचपीसी	2039.80	6059.20	6193.91	4512.12	4043.97
एपीजेनको					
मछकुंड	114.75	669.57	666.06	718.51	420.63
कुल एपीजेनको - ओडिशा	114.75	669.57	666.06	718.51	420.63
कुल राज्य क्षेत्र - ओडिशा	2154.55	6728.77	6859.97	5230.63	4464.60
कुल ओडिशा	2154.55	6728.77	6859.97	5230.63	4464.60
सिक्किम					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
रंगित	60.00	354.78	288.70	337.70	314.29
तीस्ता-V	510.00	2831.97	2829.83	2671.82	2606.9
कुल एनएचपीसी	570.00	3186.75	3118.53	3009.52	2921.19
कुल केंद्रीय क्षेत्र - सिक्किम	570.00	3186.75	3118.53	3009.52	2921.19
राज्य क्षेत्र					
तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल)					
तीस्ता III	1200.00	6041.55	6043.98	6315.53	5702.48
कुल टीयूएल	1200.00	6041.55	6043.98	6315.53	5702.48
कुल राज्य क्षेत्र - सिक्किम	1200.00	6041.55	6043.98	6315.53	5702.48
निजी क्षेत्र					
डेन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डीईपीएल)					
जोरथांग तूप	96.00	406.90	399.92	424.69	406.74
शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल)					
ताशिडिंग	97.00	434.91	369.75	453.07	425.33
गति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल)					
डूजाचैन एचईपी	110.00	472.06	488.37	514.21	482.97
स्नेहा काइनेटिक					
दिक्छू	96.00	485.19	458.95	481.45	507.08
एमबीपीसी					
रौगनिचू	113.00		0.00	295.43	413.07
कुल निजी - सिक्किम	512.00	1799.06	1717	2169	2235
कुल सिक्किम	2282.00	11027.36	10879.50	11493.90	10858.86
पश्चिम बंगाल					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
तीस्ता लो डैम - III	132.00	581.82	541.28	601.51	570.94
तीस्ता लो डैम - IV	160.00	739.18	718.98	736.77	702.1
कुल एनएचपीसी	292.00	1321.00	1260.26	1338.28	1273.04
डीवीसी					
मैथन	63.20	83.63	192.38	221.42	85.1
कुल डीवीसी - पश्चिम बंगाल	63.20	83.63	192.38	221.42	85.10
कुल केंद्रीय क्षेत्र - पश्चिम बंगाल	355.20	1404.63	1452.64	1559.70	1358.14
राज्य क्षेत्र					
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल					
जलदाका I	36.00	188.97	201.48	178.11	160.79
पुरुलिया पीएसएस	900.00	1075.47	1303.44	1183.71	1123.15
रम्मम II	50.00	247.31	254.72	268.32	219.21
कुल डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	986.00	1511.75	1759.64	1630.14	1503.15
कुल राज्य क्षेत्र - पश्चिम बंगाल	986.00	1511.75	1759.64	1630.14	1503.15
कुल पश्चिम बंगाल	1341.20	2916.38	3212.28	3189.84	2861.29
कुल पूर्वी	5987.75	20823.47	21174.84	20462.33	18465.82
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
लोअर सुबनसिरी					
कुल एनएचपीसी - अरुणाचल प्रदेश					
नीपको					
रंगानदी	405.00	1289.45	1399.27	1154.33	1242.45
पारे	110.00	471.52	522.32	430.57	483.62
कामेंग	600.00	25.49	1529.75	2576.38	2558.7
कुल नीपको - अरुणाचल प्रदेश	1115.00	1786.46	3451	4161	4285
कुल केंद्रीय क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश			3451.34	4161.28	4284.77
कुल अरुणाचल प्रदेश	1115.00	1786.46	3451.34	4161.28	4284.77
असम					
केंद्रीय क्षेत्र					
नीपको					
कोपिली	200.00	190.48	0.00	0.00	0
खोडोंग	50.00	716.90	67.84	275.12	0
कुल नीपको - असम	250.00	907.38	67.84	275.12	0.00
कुल केंद्रीय क्षेत्र - असम	250.00	907.38	67.84	275.12	0.00
राज्य क्षेत्र					
एपीजीसीएल					
कारबी लांगपी	100.00	384.30	203.03	401.12	435.53
कुल एपीजीसीएल	100.00	384.30	203.03	401.12	435.53

कुल राज्य क्षेत्र - असम	100.00	384.30	203.03	401.12	435.53
कुल असम	350.00	1291.68	270.87	676.24	435.53
नागालैंड					
केंद्रीय क्षेत्र					
नीपको					
दोयांग	75.00	180.85	203.86	100.55	164.46
कुल नीपको - नागालैंड	75.00	180.85	203.86	100.55	164.46
कुल केंद्रीय क्षेत्र - नागालैंड	75.00	180.85	203.86	100.55	164.46
कुल नागालैंड	75.00	180.85	203.86	100.55	164.46
मणिपुर					
केंद्रीय क्षेत्र					
एनएचपीसी					
लोकटक (मणिपुर)	105.00	366.59	621.62	455.48	446.43
कुल एनएचपीसी - मणिपुर	105.00	366.59	621.62	455.48	446.43
कुल केंद्रीय क्षेत्र - मणिपुर	105.00	366.59	621.62	455.48	446.43
कुल मणिपुर	105.00	366.59	621.62	455.48	446.43
मेघालय					
राज्य क्षेत्र					
एमईपीजीसीएल					
किरदमकुलई	60.00	141.95	163.72	110.21	109.38
उमियम स्टे.-I	126.00	421.67	420.62	380.37	350.46
न्यू उमतर्	40.00	181.50	229.79	160.81	173.51
उमियम स्टे.-IV	36.00	108.33	149.54	64.91	100.78
एमईपीजीसीएल	60.00	164.84	188.32	125.52	153.62
कुल एमईपीजीसीएल	322.00	1018.29	1151.99	841.82	887.75
कुल राज्य क्षेत्र - मेघालय	322.00	1018.29	1151.99	841.82	887.75
कुल मेघालय	322.00	1018.29	1151.99	841.82	887.75
मिजोरम					
केंद्रीय क्षेत्र					
त्रियल	60.00	177.02	158.85	137.44	166.49
कुल नीपको - मिजोरम	60.00	177.02	158.85	137.44	166.49
कुल केंद्रीय क्षेत्र - मिजोरम	60.00	177.02	158.85	137.44	166.49
कुल मिजोरम	60.00	177.02	158.85	137.44	166.49
कुल उत्तर-पूर्वी	2027.00	4820.89	5858.53	6372.81	6385.43
कुल अखिल भारत	46850.15	155769	150300	151627	137903.6
एचई स्टेशनों की कुल संख्या 211 है क्योंकि एनजे सागर एचई स्टेशन (दक्षिणी क्षेत्र) में एक पारंपरिक यूनिट है और शेष सात यूनिटें पीएसएस हैं।					

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची (दिनांक 26.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (संख्याXमेगावाट)	क्षमता के अंतर्गत निष्पादन (मेगावाट)
	आंध्र प्रदेश			
1	पोलावरम (एपीजेनको /सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	12x80	960.00
2	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	4x240 + 2x120	1200.00
	उप जोड़ : आंध्र प्रदेश			2160.00
	अरुणाचल प्रदेश			
3	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			2000.00
	असम			
4	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	राज्य	2x55+2x2.5+1x5	120.00
	उप-जोड़: असम			120.00
	हिमाचल प्रदेश			
5	पार्वती चरण-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
6	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	2x80+2x25	210.00
7	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केंद्रीय	2x33	66.00
8	सुन्नी डैम (एसजेवीएन)	केंद्रीय	4x73+1x73+1x17	382.00
9	उहल- III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
10	शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
11	चंजु-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x16	48.00
12	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	3x50	150.00
13	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	3x80	240.00
14*	तांगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			2490.00
	जम्मू एवं कश्मीर			
15	पाकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	4x250	1000.00
16	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	4x156	624.00
17	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x205 + 1x30	850.00
18	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केंद्रीय	4x135	540
19	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50
20*	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00
	उप-जोड़: जम्मू एवं कश्मीर			3099.50
	केरल			
21	पल्लीवासल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
23	मांकुलम (केएसईबी)	राज्य	2x20	40.00
	उप-जोड़: केरल			140.00

	मध्य प्रदेश			
24*	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			400.00
	महाराष्ट्र			
25*	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएच)	राज्य	2x40	80.00
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00
	पंजाब			
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/ सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00
	उप-जोड़: पंजाब			206.00
	सिक्किम			
27	तीस्ता चरण-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	4x125	500.00
28	रंगित- IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
29*	भस्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	2x25.5	51.00
30*	रंगित- II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
31*	पनन (हिमागिरी)	निजी	4x75	300.00
	उप-जोड़: सिक्किम			1037.00
	तमिलनाडु			
32	कुंडाह पंप स्टोरेज फेज- I, II और III)	राज्य	4x125	500.00
	उप-जोड़: तमिलनाडु			500.00
	उत्तराखंड			
33	विष्णुगाड़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
34	नैतवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	2x30	60.00
35	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
36	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
37*	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
38*	फाटा ब्युंग (लैंकों)	निजी	2x38	76.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड			2271.00
	पश्चिम बंगाल			
39	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			120.00
	कुल			14623.50
*परियोजना वर्तमान में रुकी हुई है। इन्हें आरंभ करना कार्यों के तत्काल पुनरांश के अधीन है।				

लोकसभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

रोकी गई जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	संस्थापित क्षमता (संख्याXमेगावाट)	क्षमता के अंतर्गत निष्पादन (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति और कार्यों को पुनः आरंभ करने के लिए उठाए गए कदम
	हिमाचल प्रदेश			
1	टांगनू रोमाई (टीआरपीजी)	2x22	44.00	विकासकर्ता के पास धनराशि की कमी के कारण अगस्त, 2016 से कार्य रुका हुआ है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश		44.00	
	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र			
2	लोअर कलनाई (जेकेएसपीडीसी)	2x24	48.00	जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2019 के आदेश संख्या 115-पीडीडी 2019 के द्वारा अनुबंध समाप्त करने के बाद से बांध और विद्युत गृह स्थल पर सभी मोर्चों पर कार्य रुका हुआ है। जेकेएसपीडीसी द्वारा दिनांक 24.03.2022 को शेष कार्य ई-एनआईटी के माध्यम से ईपीसी मोड में किए गए हैं। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप जोड़: जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र		48.00	
	मध्य प्रदेश			
3	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	10x40	400.00	विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से निलंबित है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 18.04.2020 को एसएमएचपीसीएल के साथ विद्युत क्रय करार को समाप्त कर दिया है। आईबीसी के अंतर्गत दिनांक 27.09.2022 को एनसीएलटी में पीएफसी का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 2 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश		400.00	
	महाराष्ट्र			
4	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र)	2x40	80.00	परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी हुई है। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर तक पहुँच चुका है। विभिन्न विकल्पों के साथ निष्पादन का प्रस्ताव (डब्ल्यूआरडी द्वारा/बीओटी के माध्यम से/डब्ल्यूआरडी के सहयोग से एमएसपीजीसीएल द्वारा) प्रक्रियाधीन है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू

				होने के 4 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप-जोड़: महाराष्ट्र		80.00	
	सिक्किम			
5	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	2x25.5	51.00	धनराशि की कमी के कारण सितंबर, 2016 से कार्य रुका हुआ है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
6	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	2x33	66.00	धनराशि की कमी के कारण दिसंबर, 2017 से कार्य रुका हुआ है। परियोजना दिनांक 30.07.2020 से एनसीएलटी में है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
7	पानन (हिमागिरी)	4x75	300.00	एसपीडब्ल्यूडी द्वारा बांध स्थल तक पहुंचने के लिए मंटम झील पर स्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 5 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप-जोड़: सिक्किम		417.00	
	उत्तराखंड			
8	लता तपोवन (एनटीपीसी)	3x57	171.00	अवसंरचना कार्य लगभग पूरा हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता तपोवन सहित उत्तराखंड में 24 एचई परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
9	फाटा ब्युंग (लैंको)	2x38	76.00	वित्तीय संकट के कारण कार्य जुलाई, 2017 से रुका हुआ है। कंपनी जून, 2020 से परियोजना के समाधान और पुनरुद्धार के लिए आईबीसी के अंतर्गत शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। समाधान योजना संबंधी मंजूरी राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण के अधीन है। परियोजना, कार्य पुनः शुरू होने के 2 वर्ष बाद, प्रचालनरत होने की संभावना है।
	उप-जोड़: उत्तराखंड		247.00	
	कुल:		1236.00	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 91

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

सौभाग्य योजना

91. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजस्थान सरकार ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत कार्य पूरा होने की अवधि बढ़ाने के साथ उक्त योजना के अंतर्गत हुए कार्यों का अनुमोदन मांगा है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का प्रस्ताव राजस्थान की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना को पूरा करने की अवधि को इस वर्ष के अंत तक बढ़ाकर राहत प्रदान करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो इसकी समय सीमा कब तक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : इस मंत्रालय को राजस्थान सरकार का दिनांक 03 मार्च, 2022 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सौभाग्य स्कीम को दिनांक 31.12.2022 तक आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी इच्छुक घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि 11.84 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का दो चरणों में विद्युतीकरण किया गया था जिसमें वे अतिरिक्त घर शामिल हैं जो पहले विद्युतीकरण के अनिच्छुक थे और बाद में इच्छुक हो गए थे। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो चुकी है।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना है, भारत सरकार सौभाग्य की स्वीकृति के समय मौजूद सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 113

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विद्युत उत्पादन और संवितरण में सुधार

113. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन और वितरण में यथोचित सुधार लाने के लिए कोई विशेष पहल की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के बिल भुगतान के निपटान के लिए भी कोई संयुक्त प्रयास किए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। विद्युत के उत्पादन और वितरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) वर्ष 2014 से दिनांक 31.12.2022 तक, 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है।
- (ii) हमारे ग्रिड में 173459 सीकेटी किलोमीटर की पारेषण लाइनें जोड़ी गई हैं, जो पूरे देश को 112 गीगावाट विद्युत देश के एक कोने से दूसरे कोने में अंतरित करने की ग्रिड क्षमता से जोड़ती है।
- (iii) डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य/आईपीडीएस के अंतर्गत वितरण प्रणाली को 2.02 लाख करोड़ रुपये की लागत से सुदृढीकृत किया गया है, जिसमें 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3964 सब-स्टेशन अपग्रेड किए गए हैं और 8.48 लाख सीकेटी किलोमीटर एचटी/एलटी लाइनें आदि जोड़ी गई हैं।
- (iv) विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और व्यापार संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वचालित पद्धति द्वारा 100% एफडीआई की अनुमति है।
- (v) उत्पादन के साथ-साथ पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 28.01.2016 को विभिन्न प्रावधानों सहित संशोधित टैरिफ नीति की अधिसूचना जारी करना।

- (vi) देश में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को वापस लाने और उसके कारण निवेशों को आकर्षित करने के लिए विलंबित भुगतान अधिभार नियमों की अधिसूचना जारी करना। इन नियमों ने न केवल बकाया देय राशियों का परिसमापन सुनिश्चित किया गया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वर्तमान देय राशियों का भुगतान समय पर किया जाए।
- (vii) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करने के लिए, दिनांक 30.06.2025 तक प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, नई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण संबंधी आईएसटीएस प्रभारों को, उनके प्रारंभ होने की तारीख से 18 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई।
- (viii) हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 06.06.22 को हरित खुली पहुँच नियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं।
- (ix) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई।
- (x) भारत सरकार ने देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटी एंड सी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक और औसत आपूर्ति लागत-औसत वसूलयोग्य राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहयोग (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।
- (xi) वर्तमान स्थिति में इन उपायों के योगदान से विद्युत की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 22½ घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23½ घंटे तक हो गई है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र मूल्य शृंखला में अनुशासन सुनिश्चित करने, विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबद्ध मामले) नियम, 2022 अधिनियमित किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार विद्यमान अपने परंपरागत देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किश्तों में, दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की प्रयोज्यता के बिना, निपटान करने की बाध्यता की गई है। तथापि, इन नियमों के अनुसार बकाया देय राशियों की किस्तें चुकाने में विफल रहने पर संपूर्ण बकाया राशि पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) लगाया जाएगा। इन नियमों में भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा और खुली पहुँच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ, यदि इन नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो, विद्युत विनियमों का प्रावधान भी किया गया है।

आरडीएसएस का उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन करना भी है। यह आशा की जाती है कि इससे डिस्कॉमों को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज़)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज़) से देयराशियों सहित सभी सरकारी विभागों की विद्युत देयराशियों का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 123

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विद्युत चोरी के मामले

123. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में रिपोर्ट किए गए विद्युत चोरी के मामलों की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ग) क्या सरकार का विद्युत चोरी को रोकने के लिए उन्नत मीटर लगाने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार देश के विभिन्न भागों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यथासूचित विद्युत की चोरी के मामलों से अवगत है। भारत सरकार द्वारा, विद्युत की चोरी को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग से संबंधित विशिष्ट प्रावधान (धारा 126 तथा धारा 135 से 140) हैं जिनमें ऐसे अपराधों के लिए कड़े दंड प्रावधान और विशेष न्यायालयों द्वारा तेजी से सुनवाई किया जाना शामिल है;
- (ii) विद्युत मंत्रालय ने सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य, अखिल भारतीय आधार पर, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को वर्ष 2024-25 तक 12-15% की श्रेणी तक कम करना है, जिसमें विद्युत की चोरी का प्रभाव भी शामिल है। इस स्कीम में हानि कम करने के उपायों, आईटी

हस्तक्षेपों सहित वितरण अवसंरचना के उन्नयन, देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के लिए वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है जिससे एटीएंडसी हानियों को कम करने में सुविधा होगी।

(ग) और (घ) : आरडीएसएस 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और केन्द्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के अनुमानित जीबीएस के साथ 5 वर्ष अर्थात् (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) तक की अवधि के लिए तैयार की गई है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार करना है।

आरडीएसएस के अंतर्गत ~23,000 करोड़ रुपये के जीबीएस सहित ~1,50,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एक परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है और स्कीम की अवधि के दौरान 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के साथ-साथ, सहायक उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) सहित संप्रेषण विशेषता के साथ फीडर तथा डीटी स्तर पर प्रणालीगत मीटरिंग का कार्यान्वयन किया जाएगा, इस प्रकार डिस्कॉमों को, सभी स्तरों पर, ऊर्जा प्रवाह के स्वतः मापन के साथ-साथ बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ऊर्जा लेखांकन एवं लेखा परीक्षा करने में सुविधा होगी। स्मार्ट मीटरिंग पीपीपी मोड में की जाएगी ताकि चूककर्ता उपभोक्ता चोरी संभावित पॉकेट्स, मीटर से छेड़छाड़ की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु सेवा स्तर करारों (एसएलएज) को लागू किया जा सके।

इस स्कीम के अंतर्गत, चोरी के मामलों की पहचान करने के लिए सिस्टम मीटरों सहित, स्मार्ट मीटरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी/प्रचालन प्रौद्योगिकी (आईटी/ओटी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए और प्रणाली से उत्पन्न ऊर्जा लेखांकन रिपोर्टों से कार्रवाई योग्य एमआईएस तैयार करने के लिए कृत्रिम सतर्कता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) जैसी उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग किया जाएगा ताकि डिस्कॉम हानि में कमी, मांग के पूर्वानुमान, परिसंपत्ति प्रबंधन इत्यादि के साथ-साथ विद्युत की चोरी के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।

वर्तमान में, आरडीएसएस के अंतर्गत, 28 राज्यों/46 डिस्कॉमों में, 1,35,001.72 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत तथा 24,908.7 करोड़ रुपये के जीबीएस के साथ, ~20.46 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ~54.12 लाख डीटी मीटर तथा ~1.98 लाख फीडर मीटर स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) : विद्युत की चोरी, बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता के कारण वाणिज्यिक हानियां एटीएंडसी हानियों का हिस्सा हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का निष्पादन" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता तथा एटीएंडसी हानि प्रतिशतता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22 (अंतिम)
बिलिंग दक्षता (%)	83.90	85.41	84.07	85.75
संग्रहण दक्षता (%)	93.39	92.80	92.40	97.16
एटीएंडसी हानि (%)	21.64	20.73	22.32	16.68

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 126

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

126. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को केरल से केंद्र और राज्य के संयुक्त उद्यमों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने केरल में जल विद्युत परियोजनाओं के विशाल अवसरों/संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार देश की जल-विद्युत क्षमता विकसित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करती है। केरल लगभग 4433 मेगावाट की जल-विद्युत क्षमता संपन्न राज्य है। इसमें से 1864 मेगावाट की कुल क्षमता विकसित की जा चुकी है। वर्तमान में, दो जल-विद्युत परियोजनाएं नामतः पल्लीवसल (60 मेगावाट) एवं थोटियार (40 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं तथा 800 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली एक परियोजना नामतः इदुक्की विस्तार स्कीम सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन है। इसके साथ-साथ, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई है, ने दो पम्पड हाइड्रो संयंत्रों को विकसित करने के लिए केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 135

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

बिहार में विद्युत ट्रांसफार्मर

135. श्री चन्देश्वर प्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बिहार में कम वॉट/क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर से बहुत अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने के कारण अधिकांश ट्रांसफॉर्मर या तो खराब पड़े हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंसयुक्त गतिविधि है और वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा निष्पादन के मानकों (एसओपी) में यथा अधिसूचित निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत/इन्हें बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। एसईआरसी/जेईआरसी ने वितरण यूटिलिटीयों द्वारा अनुपालन हेतु निष्पादन के मानक जारी किए हैं जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किसी खराब वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए समय-सीमा भी शामिल है।

भारत सरकार ने भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता, निष्पादन के मानकों, क्षतिपूर्ति तंत्र, उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटर के प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ट्रांसफार्मरों की ओवर लोडिंग से बचने के लिए, संबंधित वितरण यूटिलिटीयों द्वारा, सामान्यतया ट्रांसफार्मर की क्षमता और वितरण ट्रांसफार्मर से आपूर्ति की जा रही उपभोक्ताओं की कुल अनुबंधित मांग की गणना करने के बाद, किसी वितरण ट्रांसफार्मर से अनेक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। भारत

सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2022 तक, बिहार में 87,401 वितरण ट्रांसफार्मरों सहित, कुल 6,95,035 डीटी संस्थापित किए गए हैं।

प्रणाली की ओवर लोडिंग से बचने और अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण तथा विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने के लिए क्षेत्र के प्रत्याशित भार की पूर्ति हेतु, संबंधित वितरण यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है कि वे विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित अपनी वितरण प्रणाली का नियमित उन्नयन एवं संवर्धन करें। भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न स्कीमों को शुरू करते हुए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करती है ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों सहित उनकी उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुधार तथा संवर्धन किया जा सके। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना के पुनरुद्धार तथा संवर्धन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तपोषण की व्यवस्था करने के लिए डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस तथा सौभाग्य स्कीमों आरंभ कीं। डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस/ सौभाग्य स्कीमों के अंतर्गत, राज्यों को विद्युतीकरण कार्यों तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत प्रदान करने के लिए, बिहार सहित, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण प्रदान किया गया।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) - सुधार आधारित एवं परिणाम संबद्ध स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और भारत सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपये की है। इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) है। स्कीम के अंतर्गत, पात्र डिस्कॉमों (निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को छोड़कर सभी राज्य-स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत विभाग) को आईटी हस्तक्षेप तथा संप्रेषणीय प्रणाली मीटरिंग के साथ-साथ विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के उन्नयन और अखिल भारत में 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 158

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग की नीति

158. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का अक्टूबर, 2021 में जारी कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में सह-दहन के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु बायोमास उपयोग की नीति की तुलना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में सह-दहन हेतु बायोमास की प्रतिशतता बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में सह-दहन के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु बायोमास उपयोग की नीति की तुलना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में सह-दहन हेतु बायोमास उपलब्ध कराने के लिए किसानों को दिए गए लाभकारी मूल्य का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कृषि अपशिष्टों के पेलेट को सीधे किसानों से प्राप्त किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में पराली का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाने हेतु अन्य उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है/कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, नहीं। वर्तमान में अधिसूचित नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) : इस नीति के अनुसार, बायोमास पेलेट्स को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित विभिन्न विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा खरीदा जाना है।

(घ) : बायोमास आपूर्ति श्रृंखला तंत्र के विकास से पेलेट विनिर्माताओं/एग्रीगेटर्स द्वारा किसानों से कच्चे बायोमास की खरीद के माध्यम से किसानों के लिए राजस्व का स्रोत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 170

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

हरित ऊर्जा के लिए 'ग्रीन विंडो' कार्यक्रम

170. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में हरित ऊर्जा के लिए एक 'ग्रीन विंडो' कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए अनुमानित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने का कार्यक्रम है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : जी हां। विद्युत मंत्रालय ने भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुँच संबंधी लेनदेन की सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट तक कम करने से छोटे उपभोक्ता खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने में सक्षम हुए हैं। कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08 जुलाई, 2022 की अधिसूचना द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया) को नियमों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो हरित ऊर्जा खुली पहुँच प्रणाली संस्थापित तथा संचालित करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 11 नवंबर, 2022 को हरित ऊर्जा खुली पहुँच पर एक वेब पोर्टल <https://greenopenaccess.in> शुरू किया गया है। हरित ऊर्जा खुली पहुँच से संबंधित सभी आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और खुली पहुँच प्रदान करने के लिए उपयुक्त आयोगों द्वारा यथाअधिसूचित संबंधित नोडल एजेंसियों को भेजे जा रहे हैं। यह पोर्टल, राजस्थान सहित, देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 204

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ग्राम उजाला योजना

204. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्राम उजाला योजना लागू की है;
- (ख) उक्त योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान की गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा इस योजना के लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और
- (च) इसमें शामिल राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के गांवों और ढाणियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : ग्राम उजाला स्कीम का कार्यान्वयन कनवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा किया गया है। ग्राम उजाला स्कीम के अंतर्गत, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। ग्राम उजाला की अगुआई में वितरण कार्य पूरा हो गया है तथा वर्तमान में, कोई भी वितरण गतिविधि नहीं चल रही है।

(घ) : लाभार्थियों के बीच एलईडी बल्बों के उपयोग के लिए सीईएसएल/प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं जैसे-स्थानीय/राष्ट्रीय मीडिया आउटरीच, रेडियो/टीवी तथा मीडिया के अन्य माध्यमों जैसे बैनरों, पोस्टरों, लीफलेट्स आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करना।

(ङ) और (च) : यह स्कीम बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त, इसका कार्यान्वयन प्रायोगिक परियोजना के मूल्यांकन पर निर्भर होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 211

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी)

211. श्री एंटो एन्टोनी:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

प्रो. सौगत राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के हिमालयी क्षेत्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या जोशीमठ के धंसने के संबंध में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) की टनल परियोजनाओं के प्रभाव के बारे में कोई जांच की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने यह नोटिस किया है/सुनिश्चित किया है कि एनटीपीसी द्वारा जल विद्युत संयंत्र /परियोजनाओं के निर्माण के कारण उत्तराखंड में जोशीमठ और आस-पास के क्षेत्रों में जमीन धंस गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त संयंत्र की स्थापना से पहले कोई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या एनटीपीसी ने पहले इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं/अन्य कारणों से ग्रामीणों को कभी कोई मुआवज़ा दिया है; और
- (छ) और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी क्षेत्र में कुल 11,137.50 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 30 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीज) (25 मेगावाट संस्थापित क्षमता से अधिक) विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में से, कुल 10,381.5 मेगावाट की 23 जल विद्युत परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं और कुल 756 मेगावाट की 7 एचईपीज का काम रुका हुआ है। इसके साथ-साथ, देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी क्षेत्र में 22,982 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 87 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) : जोशीमठ में भूमि धंसने का मामला काफी पुराना है। इसे काफी पहले वर्ष 1976 में महसूस किया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान दिया गया था और उन्होंने जोशीमठ में भूमि की

अस्थिरता के कारणों की जांच करने के लिए श्री एम.सी. मिश्रा, आयुक्त, गढ़वाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। एम.सी. मिश्रा समिति की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- जोशीमठ मूल चट्टानों पर स्थित नहीं है। यह पतली अभ्रकीय रेतीली तथा मिट्टी की सामग्री के अव्यवस्थित मैट्रिक्स में बड़े अस्थिर बोल्टरों के ऋतुक्षरित, भू-स्खलन निर्मित ढेर पर स्थित है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय हैं जो परतदार शैलीय एवं क्वार्ट्ज पत्थर की हैं।
- जोशीमठ एक प्राचीन भू-स्खलन निर्मित क्षेत्र पर स्थित है। यह भू-स्खलन निर्मित क्षेत्र पूर्व में परसारी के निकट बड़े नाले तक, पश्चिम में उत्तर-पश्चिम टीले और गौख के निकट नाले तक, उत्तर में नदी-तल तक फैला हुआ है जहां दक्षिणी किनारे पर कुछ स्थायी फसलें देखी गई हैं, जबकि उत्तरी किनारे पर ठोस मूल मिट्टी की चट्टानें (हाथी पर्वत) स्थित है और दक्षिण में यह औली से आगे तक है, जो ऊंचे पहाड़ी टीले तक फैला हुआ है जिससे जलाशय (वाटर शेड) का निर्माण हुआ है।
- धंसने/दरारों का संभावित कारण पहाड़ बहना, बहने का स्वाभाविक कोण, रिसाव तथा मिट्टी के कटाव के कारण खेती संबंधी क्षेत्र हो सकता है।

वर्ष 2006 में तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। जोशीमठ में धंसने का क्षेत्र परियोजना संघटकों से 15 किमी ऊपर की ओर है। सुरंग जोशीमठ नगर की बाहरी सीमा से लगभग 1.1 किमी की क्षैतिज दूरी पर और उर्ध्वाधर रूप से भू-स्तर से लगभग 1.1 किमी नीचे है। भूमि की ऊपरी सतह पर सुरंग की सीध के आसपास भूमि धंसने का कोई चिह्न नहीं है।

जोशीमठ नगर में भूमि धंसने की सूचनाओं के बाद राज्य प्राधिकारियों ने जुलाई, 2022 में एक बहु-संस्थानिक समिति का गठन किया था। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डबल्यूआईएचजी), सीएसआईआर-सीबीआरआई, आईआईटी रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के विशेषज्ञ उस टीम का हिस्सा थे जिसने चमौली जिले के जोशीमठ नगर के क्षेत्र में हो रहे धंसने के कारणों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच की। समिति की रिपोर्ट में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना के कारण भूमि धंसने का कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) : तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, वर्ष 2006 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा नेशनल काँसिल ऑफ सीजिमिक डिजाइन पैरामीटर्स (एनसीएसडीपी) द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव, भूवैज्ञानिक अध्ययनों, जल वैज्ञानिक अध्ययनों तथा भूकंपीय अध्ययनों के लिए विस्तृत जांच के बाद आरंभ की गई थी। तकनीकी आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई थी। परियोजना का वास्तविक निर्माण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने के बाद ही आरंभ हुआ।

(ङ) : जोशीमठ नगर में भूमि धंसने की सूचनाओं के बाद, एडीएम चमौली ने दिनांक 05.01.2023 को एनटीपीसी तपोवन परियोजना में अगले आदेशों तक सभी निर्माण गतिविधियां रोकने का आदेश जारी किया है। तदनुसार, एनटीपीसी तपोवन परियोजना में दिनांक 05.01.2023 से सभी निर्माण गतिविधियां रोक दी गई हैं।

(च) और (छ) : एनटीपीसी ने किसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पूर्व में ग्रामीणों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 222

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग

222. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री प्रताप चंद्र षड्ढगी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुपहिया/तिपहिया वाहनों के वर्ग में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अनुमानों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में चार्जिंग अवसंरचना इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के ई-वाहन4 पोर्टल के अनुसार, दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 20,40,624 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए दोपहिया और तिपहिया श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी आंकड़े **अनुबंध-क** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना सहित विद्युत की मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां चार्ज करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा से संबंधित तकनीकी मानक संबंधी विनियमों में संशोधन जारी किया है।

- (iii) देश में ई-मोबिलिटी पारगमन में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 (दिनांक 07.11.2022 को संशोधित) को समेकित संशोधित दिशानिर्देश और चार्जिंग अवसंरचना के लिए मानदंड जारी किए गए हैं।
- (iv) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का चयन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है।
- (v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग सहित विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए दिनांक 19.02.2021 को एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है।
- (vi) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा 9 प्रमुख शहरों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इन शहरों में वर्ष 2030 तक कुल 46,397 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) का लक्ष्य बनाया जा रहा है।
- (vii) सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्तनकारी गतिशीलता संबंधी भारत सरकार की पहल में शामिल हों और अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल/डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करें।
- (viii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में मॉडल बिल्डिंग उप-नियम तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं, निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों को जारी किया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश में 5254 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) प्रचालनरत हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-ख** में दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोड़े गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-ग** में दिए गए हैं।

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष	ई-2 व्हीलर	ई-3 व्हीलर
2018	16943	108351
2019	30063	131453
2020	28936	88239
2021	155422	153718
2022	628670	338608
2023 (दिनांक 30-01-2023 तक)	57447	30022
कुल जोड़	917481	850391

अस्वीकरण:

1. आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन पोर्टल की ओर परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं और ऊपर दर्शाए गए आंकड़े केवल आंशिक हैं, जैसा कि वाहन डीबी में उपलब्ध है।
2. इसके अतिरिक्त, तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े ऑनलाइन वाहन डीबी में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए प्रदान नहीं किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्रम सं.	राज्य का नाम	पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	48
5	बिहार	83
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	46
8	दिल्ली	539
9	गोवा	44
10	गुजरात	170
11	हरियाणा	230
12	हिमाचल प्रदेश	27
13	जम्मू और कश्मीर	24
14	झारखंड	60
15	कर्नाटक	704
16	केरल	192
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्य प्रदेश	174
19	महाराष्ट्र	660
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	19
22	नागालैंड	6
23	ओडिशा	117
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	126
26	राजस्थान	254
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	442
29	तेलंगाना	365
30	त्रिपुरा	18
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	1
32	उत्तर प्रदेश	406
33	उत्तराखंड	48
34	पश्चिम बंगाल	189
	कुल	5254

लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में जोड़े गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीसीएस	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीसीएस
1	आंध्र प्रदेश	3	71
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2
3	असम	7	7
4	बिहार	4	4
5	चंडीगढ़	2	4
6	छत्तीसगढ़	-	4
7	दिल्ली	38	305
8	गोवा	6	8
9	गुजरात	9	27
10	हरियाणा	35	46
11	हिमाचल प्रदेश	5	7
12	झारखंड	4	7
13	कर्नाटक	33	137
14	केरल	14	69
15	मध्य प्रदेश	9	27
16	महाराष्ट्र	19	438
17	मणिपुर	1	1
18	मेघालय	1	12
19	नागालैंड	2	2
20	पुदुचेरी	-	1
21	पंजाब	8	9
22	राजस्थान	27	26
23	तमिलनाडु	20	228
24	तेलंगाना	35	153
25	त्रिपुरा	2	2
26	उत्तर प्रदेश	24	105
27	उत्तराखंड	4	18
28	पश्चिम बंगाल	2	22
कुल		316	1742

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 225

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विशेष अभियान-2

225. श्री अनिल फिरोजिया:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष अभियान-2 के पोर्टल की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गैस टर्बाइन में हाइड्रोजन को-फायरिंग कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा 2-31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 अथवा स्पेशल कैंपेन संचालित किया गया जिसका उद्देश्य स्वच्छता का संस्थानीकरण करना तथा सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना था। समस्त भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में विशेष अभियान 2.0 को कार्यान्वित किया गया था और इसकी निगरानी एक डिजिटल पोर्टल www.pgportal.gov.in/scdpm22 द्वारा की गई थी। 1.01 लाख कार्यालयी स्थानों में स्वच्छता संबंधी अभियान चलाया गया, 89.95 लाख वर्ग फुट स्थान खाली किया गया और रद्दी के निपटान से 371.88 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। 0.24 लाख लोक शिकायत अपीलों के साथ-साथ 4.55 लाख लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया। 63 मंत्रालयों/विभागों ने सर्वोत्तम प्रथाओं की सूचना दी। सरकार द्वारा वरिष्ठ स्तरों पर विशेष अभियान 2.0 की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की गई। मंत्रालयों/विभागों द्वारा सोशल मीडिया में 67,000 से अधिक सोशल मीडिया ट्वीट्स के साथ विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की व्यापक सूचना दी गई है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा 127 पीआईबी वक्तव्य जारी किए गए। सरकार में बहुविध स्तरों पर डीएआरपीजी दिए गए प्रभावी समन्वय ने मंत्रालयों की गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने तथा विशेष अभियान के समग्र प्रभाव और परिणाम को और अधिक बढ़ाने में सहायता की है।

(ख) : विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 229

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में चल रही विद्युत परियोजनाएं

229. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं की लागत/समय में काफी अधिक वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भुसावल ताप विद्युत परियोजना, यूनिट सं.- 06 (660 मेगावाट), तालुका-भुसावल, जिला- जलगाँव नामक एक ताप परियोजना को महाजेनको (एमएसपीजीसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : परियोजनाओं के लिए समय/लागत आधिक्य तथा वर्तमान स्थिति के साथ-साथ पिछले दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

परियोजनाएं	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	समय आधिक्य	लागत आधिक्य	निधियों का उपयोग		टिप्पणी
					2020-21	2021-22	
भुसावल ताप विद्युत परियोजना, यूनिट सं.- 06 (660 मेगावाट)	महाजेनको (एमएसपीजीसीएल)	4550.97	10 महीने	230 करोड़ रुपये	1381.85	1173.8	कोविड-19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में परियोजना की प्रगति बाधित हुई।

वर्तमान में, परियोजना की गतिविधियां जोर-शोर से जारी हैं। दिनांक 04.11.2022 को बॉयलर ड्रेनेबल हाइड्रोलिक टेस्ट किया गया और फरवरी, 2023 में नॉन-ड्रेनेबल हाइड्रोलिक टेस्ट में निर्धारित किया गया है। फरवरी, 2023 में बॉयलर लाइट अप निर्धारित किया जाना है और जून, 2023 में ट्रायल रन निर्धारित किया जाना है।

(घ) : भुसावल ताप विद्युत परियोजना-यूनिट सं.-6 (660 मेगावाट) को समय पर पूरा करने के लिए ईपीसी ठेकेदार अर्थात मैसर्स बीएचईएल और परियोजना के अन्य हितधारकों के साथ ठोस अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठकें भी की जा रही हैं।
